

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ
------------------------------	--------------------------------	--

आवेदक/आवेदिका रविंद्र नाथ
 पिता/पति रजेश नाथ अनुसूची जनजाति/उपजाति बोडो
 चक्रधरपुर, थाना-चक्रधरपुर राजस्व थाना-चक्रधरपुर, अंचल चक्रधरपुर, जिला-प०
 सिंहभूम ने क्रेता रजेश नाथ पिता- रजेश नाथ
 अनुसूची जनजाति/उपजाति बोडो के अन्तर्गत ग्राम- चक्रधरपुर (नमक)
 थाना-चक्रधरपुर/राजस्व थाना- चक्रधरपुर अंचल लोहरा
 जिला-प० सिंहभूम के पास जमीन बिक्री/भू-हस्तानान्तरण हेतु छोटानागपुर काश्तकारी
 अधिनियम की धारा 46(1) प्रोमिजो "ए" के अंतर्गत अनुमति हेतु आवेदन समर्पित
 किया है। जमीन का विवरण है :-

मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>मंडोरा</u>	<u>533</u>	<u>लोहरा</u>	<u>279</u>	<u>82</u>	<u>09.32</u>

आवेदक को रजेश नाथ आवश्यकता होने के कारण आवेदित भूमि
 का रकबा 09.32 का कुल कीमत 1,00,000/- रुपये मात्र
 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोमिजो "ए" के अन्तर्गत
 बिक्री करना चाहते हैं।

आम सूचना निर्गत करें और अंचल अधिकारी चक्रधरपुर से अपना जाँच प्रतिवेदन
 स्पष्ट मन्तव्य सहित दिनांक 28/5/17 तक मांग करें।

अभिलेख दिनांक 27/5/17 को उपस्थित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
 पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
 पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

N.B. : Interest either Hindi or English and the
 cash may written by :

उपनिवेश अधिकारी
चक्रधरपुर